न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज0)

पीठासीन अधिकारी–पवन कुमार (आर.ए.एस.)

वाद संख्या:–18/2020

सुमित्रादेवी पुत्री बनवारीलाल पत्नी रामचन्द्र जाति बिश्नोई निवासी शेखसर पाल तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर

——प्रार्थीया

बनाम्

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व), अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर

———अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम

::निर्णय:: दिनांक–12.01.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि वाके चक 22 एपीडी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नम्बर 15 पत्थर सं.–283/408 के किला नं.–1ता25 के 25 बीघा यानि 6.072 हैक्टर भूमि सुदेश कुमार पुत्र भागीरथ के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। सुदेश कुमार अविवाहित फौत होने पर उसके नाम की उक्त कृषि भूमि उसके द्वितीय श्रेणी के वारिसान हंसराज, पृथ्वीराज, सुभाषचन्द्र, सुरजभान, बनवारीलाल, कलावती पुत्र व पुत्रियाँ भागीरथ थे। जिसमें बनवारीलाल पुत्र भागीरथ जो प्रार्थीया का पिता था, का देहान्त हो चुका है तत्पश्चात उक्त भूमि हंसराज, पृथ्वीराज, सुभाषचन्द, सुरजभान, कलावती पुत्र व पुत्रियाँ भागीरथ व बनवारी लाल के वारिसान के नाम से राजस्व रिकॉर्ड दर्ज हुई। बनवारी लाल के वारिसान के साथ राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने से रह गया है उक्त त्रुटि सहबन से मानवीय भूलवश रिकॉर्ड तैयार करते समय हुई है। सुदेश कुमार की बहन सोमती एवं उसके पति लाऔलाद फौत हो चुके है। प्रार्थीया की माता लीलादेवी का भी देहान्त हो चुका है। प्रार्थीया ग्रामीण परिवेश का काश्तकार परिवार की है प्रार्थीया को पूर्व में उक्त गलत नाम की त्रुटि का इल्म नहीं हो सका। अब प्रार्थीया द्वारा जब अपनी उक्त खातेदारी भूमि पर ऋण संबंधी पत्रावली तैयार करवाने पटवारी हल्का के पास गयी ओर उसे अपने दस्तावेजात दिखाये तो पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थीया को बताया गया कि प्रार्थीया का नाम बतौर बनवारीलाल के वारिस के रूप में रिकॉर्ड में दर्ज होने से रह गया है जो सहवन से गलती से दर्ज नही हुआ। इसलिए आप मृतक बनवारीलाल के वारिसान के साथ अपना नाम जुड़वाकर लावें। जिस पर प्रार्थीया तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़ के समक्ष दिनांक 27.11.2020 को दर्ज उपस्थिति हुई ओर उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में बनवारीलाल के वारिसान के साथ बतौर वारिस प्रार्थीया का नाम दर्ज करने का निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आये इसलिए प्रार्थीया को यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थीया मृतक बनवारीलाल की हकीकी पुत्री है मृतक बनवारीलाल के कुल पांच पुत्र व पुत्रियाँ है जिसमे चार पुत्र पुत्रियाँ क्रमशः राधादेवी, सतपाल, अजय कुमार व विकलेश कुमारी का नाम दर्ज हो गया लेकिन प्रार्थीया सुमित्रादेवी का नाम सहवन से दर्ज से रह गया है जबकि प्रार्थीया मृतक बनवारीलाल की प्रथम श्रेणी की विधिक वारिस है उक्त त्रुटि राजस्व रिकॉर्ड तैयार करते समय सहवन से कर्मचारियों की गलती से हुई है जो न्यायहित में दुरूस्त की जाकर प्रार्थी[illegible] राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना न्यायसंगत है। .

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.02.21 12:39:48 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली में संलग्न तहसीलदार रिपोर्ट, [illegible] का गहनता से अवलोकन एवं मनन किया गया। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट [illegible] 22 एपीडी का प.नं. 283/[illegible] का 6.072 है. कमाण्ड रकबा हंसराज, पृथ्वीराज, सुभाषचन्द्र, [illegible]भान, कलावती देवी पुत्र/[illegible] भागीरथ 5/6 हिस्सा ब.हि.ब., सतपाल, अजयकुमार, राधादेवी, विकलेशकुमारी पि. बनवारीलाल 1/6 हि. ब. जाति बिश्नोई सा. देह खातेदार दर्ज है। उक्त प्रविष्टि इन्तकाल सं. 250 से आई है परन्तु इसमें वारिस प्रमाण पत्र व मृत्यु प्रमाण पत्र चस्पा नहीं है। इन्हीं से सम्बन्धित इन्तकाल नं.

Scanned with CamScanner

122 जो कि विरासत हुआ था, में बनवारी लाल पुत्र भागीरथ का मृत्यु प्रमाण पत्र व वारिस प्रमाण पत्र चस्पा है, से ज्ञात होता है कि बनवारीलाल की मृत्यु के बाद उसके वारिस प्रमाण पत्र में सुमित्रादेवी का नाम अंकित है। यह इन्तकाल नं. 122 विरासत व दस्तबरदारी का संयुक्त रूप से दर्ज है। इन्तकाल सं. 250 में बनवारीलाल के वारिसों में से सतपाल, अजयकुमार, राधादेवी व विकलेशकुमारी के अलावा सुमित्रादेवी का नाम सहवन से छूट गया है। प्रार्थीया इसी चक के प.नं. 283/408 का 6.072 हैक्टर कमाण्ड में छूटा हुआ अपना नाम जरिए दुरूस्ती के दर्ज करवाना चाहती है।

चक 22 एपीडी का इन्तकाल नं. 250 सुदेश पुत्र भागीरथ जाति विश्नोई के अविवाहित फौत होने के बाद उसके भाई, बहनों को वारिस मानते हुए दर्ज किया गया है जिसमें एक भाई बनवारीलाल भी था जिसकी मृत्यु होने के कारण विरासतन इंतकाल दर्ज किया गया। जिसमें सतपाल, अजयकुमार, राधादेवी व विकलेशकुमारी के अलावा सुमित्रादेवी का नाम भी दर्ज किया जाना था जो सहवन से छूट जाना प्रतीत होता है। इस प्रकार तहसीलदार अनूपगढ़ ने इंतकाल नं. –250 में छुटे हुये नाम को सहकाश्तकार मानते हुए प्रार्थीया का नाम जोड़कर दुरूस्ती करने की अनुशंषा की है एवं प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य बताया है। पत्रावली पर संलग्न इंतकाल संख्या–250, 122 एवं दस्तावेज पंजीकृत दस्तबरदारी, जिसे लीलादेवी, सुमित्रादेवी, राधादेवी, विकलेशकुमारी, सतपाल व अजयकुमार ने दो स्वतंत्र गवाहों के समक्ष पंजीकृत करवाया है, के अवलोकन से भी उक्त तथ्यों की पुष्टि होती है। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में चाही गयी दुरूस्ती राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में मृतक बनवारीलाल के वारिसों के रूप में प्रार्थीया का नाम दर्ज करवाना स्वीकार योग्य होने के कारण प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

::आदेश::

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार अनूपगढ़ को आदेशित किया जाता है कि चक 22 एपीडी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नम्बर 15 पत्थर सं.–283/408 के किला नं.–1ता25 के 25 बीघा यानि 6.072 हैक्टर कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में बतौर बनवारी लाल के वारिस प्रार्थीया का नाम का अंकन किया जावें। अप्रार्थी तहसीलदार अनूपगढ को उक्त आदेश को राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करने हेतु तहरीर अलग से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12/01/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Pavan Kumar
Date: 2021.02.21 12:39:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner